[प्रतिवेद्य]

[2021] 8 एस.सी.आर. 439

देवेंद्र पाठक सर्वोदय कॉलेज ऑफ एजुकेशन

बनाम

नेशनल कॉउन्सिल फॉर टीचर एजुकेशन और अन्य

(रिट याचिका (सी) संख्या 518/2021)

11 अगस्त, 2021

[आर.एफ. नरीमन और बीआर गवई, जे.जे.]

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थान:

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993: धारा 14(1) - अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करने वाले संस्थानों की मान्यता- बीएड और डीईआईईडी पाठ्यक्रम - याचिकाकर्ता - कॉलेजों ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्रदान करने की मांग की - एनसीटीई द्वारा बीएड पाठ्यक्रम या डीईआईईडी पाठ्यक्रम या दोनों के संचालन के लिए- एनसीटीई द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए बीएड/डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सभी आवश्यक आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद मान्यता प्रदान करना - हालांकि, शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए मान्यता प्रदान नहीं की गई - अभिनिर्धारित: शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए मान्यता प्रदान करने वाले आदेश में अधिनियम और नियमों के प्रावधानों और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के मानदंडों और मानकों के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज की गई - इसके मद्देनजर, एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समिति द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से मान्यता देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है - इसके अलावा, प्रवेश के लिए काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हुई है - इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा माँ वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय के मामले में निर्धारित कट-ऑफ तिथि को इन मामलों के तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है - याचिकाकर्ता शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के बजाय शैक्षणिक सत्र 2021-2022 से मान्यता प्राप्त करने के हकदार हैं - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2014।

रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए और उनका निपटारा करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारितः 1.1 बीएड कोर्स या डीएलएड कोर्स या दोनों के संचालन के लिए मान्यता प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ताओं का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है। हालांकि, एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समितियों ने सभी आवश्यक आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए बीएड/डीएलएड कोर्स संचालित करने के लिए मान्यता प्रदान की है। अन्य याचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मान्यता प्रदान करते समय या तो समरूप या समान कारण दिए गए हैं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि संस्थानों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों, उनके साथ संलग्न दस्तावेजों, प्रस्तुत शपथपत्रों और विजिटिंग टीमों से प्राप्त रिपोर्टों और वीडियोग्राफी की संवीक्षा के बाद एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समितियों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि समिति इस बात से संतुष्ट थी कि आवेदक संबद्ध निकायों से जारी प्रमाण पत्रों पर विचार करने के बाद एनसीटीई अधिनियम, नियमों और प्रासंगिक विनियमों के प्रावधानों के तहत आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। आदेश में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानकों जैसे कि कार्यक्रम चलाने के लिए शिक्षण सुविधाएं, अवसंरचनात्मक सुविधाएं, वित्तीय संसाधन आदि के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज की गई है। [पैरा 30, 31, 33][448-ई, एफ; 449-बी-डी]

1.2 इस तरह की संतुष्टि पर पहुंचने के बाद, एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समिति के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से मान्यता देने से इनकार करना और शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए मान्यता पर जोर देना तर्कसंगत नहीं हो सकता है। प्रवेश के लिए काउंसलिंग अभी शुरू होनी है। जहां तक मां *वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय* के मामले में इस न्यायालय के निर्णय में निर्धारित समय-सीमा का प्रश्न है, इस न्यायालय ने रिकॉर्ड पर रखे गए आदेशों की श्रृंखला में स्वयं ही उसमें निर्धारित समय-सीमा को संशोधित किया है। इस मामले में भी यही क्रम अपनाया जाना चाहिए, खास तौर पर तब, जब विलम्ब याचिकाकर्ताओं के कारण न होकर, परन्तु इसके विपरीत एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समितियों के कारण हुई हो। [पैरा 34][449-डी-एफ]

1.3 इस न्यायालय द्वारा *मां वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय* के मामले में निर्धारित कट-ऑफ तिथि को इन मामलों के तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है; यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समितियों द्वारा पारित संबंधित आदेशों द्वारा दी गई मान्यता के लिए शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के बजाय शैक्षणिक सत्र 2021-2022 से हकदार होंगे; प्रतिवादी एनसीटीई और इसकी क्षेत्रीय समितियों को निर्धारित अवधि के भीतर इस संबंध में औपचारिक आदेश/अधिसूचनाएं जारी करने का निर्देश दिया जाता है; राज्य और अन्य प्राधिकरण निर्धारित अवधि के भीतर संबद्धता और/या अन्य अपेक्षित अनुमतियां प्रदान करने पर विचार करेंगे; याचिकाकर्ता शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए एनसीटीई द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए छात्रों को प्रवेश देने के हकदार होंगे; और याचिकाकर्ता-कॉलेजों/संस्थानों का नाम प्रवेश के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। [पैरा 35][449-एफ-एच; 450-ए-सी]

माँ वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **(2013) 2 एससीसी 617: [2012] 13 एससीआर 810 -** पर भरोसा किया गया।

<u>संदर्भित निर्णयज विधि</u>

[2012] 13 एससीआर 810 पर विश्वास किया गया। पैरा 34,35

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सी) संख्या 518/2021.

अंतर्गत अनुच्छेद 32 भारत का संविधान

रिट याचिका (सिविल) संख्या 532, 793, 778, 789, 794, 608, 602, 601, 538, 711, 823/2021.

अमितेश कुमार, सुश्री बिनीसा मोहंती, सुश्री प्रीति कुमारी, मृत्युंजय कुमार सिन्हा, अनिमेष कुमार, नीरज शेखर, निशांत कुमार, सुश्री उत्कर्षा शर्मा, सुश्री श्वेता सिंह, श्रीयश उदय ललित, मुकेश कुमार सिंह, इक्षित सिंघल, मनीष सक्सेना,

अनबरसन नाथर पॉल, वास्ते मेसर्स मुकेश कुमार सिंह एंड कॉ, मयंक मनीष, रवि कांत, विवेक सिंह, सीपी रजवार, चंद्र प्रकाश, अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता।

एस वसीम ए कादरी, डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मनीषा टी करिया, सुश्री सुखदा कालरा, आदर्श कुमार, सुश्री निधि नागपाल, सईद कादरी, सुश्री उदिता सिंह, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, संदीप कुमार झा, कुणाल चटर्जी, सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, सिद्धार्थ चौधरी , अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादीगण।

–

न्यायमूर्ति बी ,गवई .आर.

1. इन सभी याचिकाओं के तथ्य लगभग समान हैं और इस प्रकारइस , सामान्य निर्णय द्वारा निर्णीत किया जाता हैं।

2. हम मुख्य मामले यानी रिट याचिका के 2021 / 518 संख्या (सिविल) तथ्यों का कुछ विस्तार से उल्लेख करेंगे और अन्य सभी मामलों में केवल आवश्यक तथ्यों का उल्लेख करेंगे।

रिट याचिका 2021 / 518 संख्या (सिविल)

3. याचिकाकर्ता कॉलेज को वर्ष में बैचलर इन टीचर एजुकेशन 2011 पाठ्यक्रम (.एड.एल.डी) और डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (.एड.बी) प्रदान करने के लिए गैर सहायता प्राप्त प्रशिक्षण कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था।

4. याचिकाकर्ता कॉलेज ने एक आवेदन प्रतिवादी संख्या 1-राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के रूप में संदर्भित किया ' एनसीटीई' जिसे इसके बाद) को वा (जायेगास्ते छात्रों के वार्षिक प्रवेश के साथ बीएड पाठ्यक्रम 100 14 संचालित करने और मान्यता प्रदान करने के लिए अंतर्गत धारा(1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम ,1993 उक्त ' जिसे इसके बाद) प्रस्तुत किया। (के रूप में संदर्भित किया जायेगा 'अधिनियम

5. एनसीटीई ने दिनांक 25.2. के आदेश के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2014 2014-के लिए एक वर्षीय कार्यक्रम के तहत बीएड पाठ्यक्रम के 2015 छात्रों का वार्षिक प्रवेश है। 100 जिसमें ,लिए मान्यता प्रदान की

6. प्रतिवादी संख्या 2-मगध विश्वविद्यालय बिहार ने दिनांक ,बोधगया , 2.8. 2014के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता कॉलेज को शैक्षणिक वर्ष 2014-से एनसीटीई की मान्यता जारी रहने तक एक वर्षीय बीएड 2015 सीटों के साथ प्रवेश लेने के लिए संबद्धता प्रदान की। 100 पाठ्यक्रम की

7. दिनांक 28.11. को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2014 मान्य)ता ,विनियम (मानदंड और प्रक्रिया ,2014 ' जिसे इसके बाद) 2014 विनियम' के रूप में संदर्भित किया जायेगा द्वारा शैक्षणिक सत्र (2015-से एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के स्थान पर दो वर्षीय बीएड 2016 पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

8. याचिकाकर्ताकॉलेज ने शपथपत्र द्वारा व-िनियमों के अंतर्गत आने 2014 पर सहमति व्यक्त की तथा बीएड पाठ्यक्रम में दो बुनियादी इकाइयों

)100 सीटोंजिसके लिए अतिरिक्त सुविधाओं की ,की मांग की (
2015 कॉलेज को शैक्षणिक सत्र-याचिकाकर्ता ,आवश्यकता है-के 2016
.23 लिए दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए आदेश दिनांक5.2015 के
माध्यम से मान्यता प्रदान की गई 100 जिसमें वार्षिक प्रवेश क्षमता ,
2016 कॉलेज को शैक्षणिक सत्र-सीटें हैं। याचिकाकर्ता-2017 से 2017-
सीटों के वार्षिक प्रवेश के साथ 50 तक दो वर्षीय अवधि के लिए 2018
2 आदेश दिनांक.5.के माध्यम से डीएलएड पाठ्यक्रम क 2016े लिए
भी मान्यता प्रदान की गई।

9. दिनांक 3.6. ,अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ,को 2016 कॉलेज ने प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ डीएलएड और बीएड -याचिकाकर्ता) पाठ्यक्रमों के लिए अतिरिक्त दो इकाइयों100 सीटोंके लिए मान्यता (प्राप्त करने के लिए एनसीटीई को अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया।

10. दिनांक 26.9.बिहार 3 प्रतिवादी संख्या ,आदेश के माध्यम से 2017 2017 विद्यालय परीक्षा समिति ने शैक्षणिक सत्र- से एक इकाई 2019)50 सीटेंके साथ डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए (कॉलेज को संबद्धता प्रदान-याचिकाकर्ताकी।

11. दिनांक 29.2.1 और 2020.3.280वीं को आयोजित एनसीटीई की 2020 के प्रावधानों के तहत एक 15 बैठक में उक्त अधिनियम की धारा ताकि बीएड और डीएलएड ,विजिटिंग टीम का गठन किया गया था पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त प्रवेश के लिए बुनियादी ढांचे और शिक्षण

सुविधाओं का निरीक्षण किया जा सके। हालांकि-कोविड ,19 महामारी के कारण ,निरीक्षण निर्धारित समय पर नहीं हो सका। तत्पश्चात , 8 कॉलेज में दिनांक-याचिकाकर्ता.3.को निरीक्षण किया गया और 2021 10 दिनांक.6.कॉलेज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के -को याचिकाकर्ता 20216 अनुसार बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त प्रवेश के लिए एनसीटीई द्वारा याचिकाकर्ताकॉलेज के पक्ष में आशय पत्र जारी किया - 3 गया। दिनांक.3.एनसीटीई ने ,290वीं बैठक में को आयोजित 2021 कॉलेज में शिक्षकों के पाठ्यक्रम संचालित करने -पाया कि याचिकाकर्ता के लिए आवश्यक पर्याप्त सुविधा है। अतः, याचिकाकर्ताकॉलेज को - औपचारिक मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से मांगी गई इकाइयों की संख्या के बारे में शपथपत्र पर अपनी इच्छा बताने के लिए कहा गया कॉलेज के -कॉलेज ने जवाब में कहा कि याचिकाकर्ता-था। याचिकाकर्ता पास बीएड कोर्स के लिए दो इकाइयों और डीएलएड कोर्स के लिए दो इकाइयों के अतिरिक्त प्रवेश के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा है। दिनांक 12.4.291वीं बैठक में को आयोजित एनसीटीई की 2021 कॉलेज को बीएड पाठ्यक्रम में दो इकाइयों और डीएलएड -याचिकाकर्ता पाठ्यक्रम में दो इकाइयों के अतिरिक्त प्रवेश के लिए मान्यताप्रदान की गई थी। हालांकि2022 मान्यता शैक्षणिक वर्ष ,उक्त प्रस्ताव द्वारा ,- 2023 2021 न कि शैक्षणिक वर्ष ,के लिए दी गई है-के लिए दी गई है। 2022

12. इस पृष्ठभूमि मेंके 20212022 याचिकाकर्ता कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष , लिए मान्यता प्रदान करने के लिए प्रतिवादीगणको निर्देश देने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

रिट याचिका 2021 / 532 संख्या (सिविल)

13. वर्तमान मामले मेंमें एनसीटीई द्वारा 2015 कॉलेज ने वर्ष-याचिकाकर्ता , जिसमें ,जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसरण में आवेदन किया था 2016 शैक्षणिक सत्र- से 2017डीएलएड पाठ्यक्रम चलाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यद्यपि याचिकाकर्ता का आवेदन वर्ष जिसे इसके बाद) एनसीटीई की पूर्वी क्षेत्रीय समिति ,से लंबित था 2015 20 ने दिनांक (के रूप में संदर्भित किया जायेगा 'ईआरसी'.4.को 2021 292वीं बैठक में याचिकाकर आयोजित अपनी्ताकॉलेज को शैक्षणिक - 2022 सत्र-:से मान्यता देने का निर्णय लिया। अत 2023, याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक वर्ष 2021-से मान्यता प्रदान करने के निर्देश के लिए 2022 इसी तरह की अनुतोष की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

रिट याचिका 2021 / 793 संख्या (सिविल)

14. वर्तमान मामले में भीमें एनसीटीई द्वारा 2015 याचिकाकर्ता ने वर्ष , जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुपालन में बीएड चलाने के लिए आवेदन 26 किया था। दिनांक.2.को झारखंड राज्य के विद्यालय शिक्षा 2016 ने भी डीएलएड (प्राथमिक शिक्षा सचिवालय) एवं साक्षरता विभाग पाठ्यक्रमचलाने के लिए प्रदान कर दिया है। 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' याचिकाकर्ता के आवेदन को ,जहां तक डीएलएड पाठ्यक्रम का प्रश्न है 14 ईआरसी ने आदेश दिनांक.4.के के माध्यम से खारिज कर 2016 दिया था। कारण यह बताया गया था कि झारखंड सरकार के प्राथमिक

शिक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुई थी। ईआरसी ने आदेश दिनांक 14.4.के माध्यम से याचिकाकर्ता के बीएड के 2016 आवेदन को भी इस आधार पर खारिज कर दिया कि संस्थान ने डीएलएड कार्यक्रम के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है बीएड पाठ्यक्रम के ल ,और इस तरहिए मान्यता नहीं दी जा सकती है।

15. याचिकाकर्ता और एनसीटीई के बीच बहुत सारे मुकदमे दर्ज किये गय थे ।माननीय उच्च न्यायालय झारखंड खंडपीठ ने आदेश दिनांक 2.4.को स्वीकार 2018 वर्ष 148 के माध्यम से एलपीए नंबर 2019 किया और ईआरसी और एनसीटीई को याचिकाकर्ता के आवेदन को पुनर्विलोकन करने और शैक्षणिक सत्र के लिए उस पर 2022 2020 कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

16. इसके बादएनसीटीई के ईआरसी और याचिकाकर्ता के बीच कुछ , ईआरसी ने दिनांक ,अनुपालनों के संबंध में कुछ पत्राचार हुए। अंत में 9.6. 293वीं बैठक को आयोजित अपनी 2021में प्रत्येक पाठ्यक्रम में , 2022 के वार्षिक प्रवेश के साथ शैक्षणिक सत्र (दो इकाइयों) सीटों 100- से डीएलएड और बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए 2023 याचिकाकर्ता को मान्यता देने का निर्णय लिया।

17. इस पृष्ठभूमि मेंयाचिकाकर्ता ने इसी तरह अनुतोष की मांग करत ,े हुए इस न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है।

रिट याचिका 2021 / 778 संख्या (सिविल)

18. दिनांक 5.7.50 को याचिकाकर्ता ने 2016-छात्रों की दो इकाइयों के 50 मान्यता प्रदान करने के /लिए डीएलएड पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति 14 लिए आवेदन किया। एनसीटीई ने याचिकाकर्ता को दिनांक.2. 2018 छात्रों को 50 को डीएलएड पाठ्यक्रम के संबंध में एक इकाई यानी चलाने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता को दूसरी इकाई न दिए जाने के संबंध में कुछ मुकदमेदर्ज थे। अंत में12 दिनांक ,.4.को 2021 2022 ईआरसी ने शैक्षणिक सत्र ,291वीं बैठक में आयोजित अपनी- से ड 2023ीएलएड पाठ्यक्रम चलाने के लिए याचिकाकर्ता को एक अतिरिक्त इकाई जारी करने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ता भी अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई समान अनुतोष चाहता है।

रिट याचिका 2021 / 789 संख्या (सिविल)

19. याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.10. दो) छात्रों 100 को 2008इकाइयोंके (प्रवेश के साथ बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए आवेदन किया जिसे इसके) था। याचिकाकर्ता और एनसीटीई की उत्तर क्षेत्रीय समिति के बीच कई (के रूप में संदर्भित किया जाएगा 'एनआरसी' बाद मुकदमेदर्ज हुए। दिनांक 13.1.को एनसीटीई की पश्चिमी क्षेत्रीय 2021 के रूप में संदर्भित किया 'डब्ल्यूआरसी' जिसे इसके बाद) समिति (जाएगा, जिसे अब राजस्थान में संस्थानों से संबंधित आवेदनों को संसाधित करने का क्षेत्राधिकार हैसंस्था में कोई कमी -ने याचिकाकर्ता , नहीं पाए जाने के बाद आशय पत्र जारी किया। डब्ल्यूआरसी ने दिनांक

7- ,जुलाई 92021 को आयोजित अपनी में (वर्चुअल) 337वीं बैठक 2022 शैक्षणिक सत्र-) से दो इकाइयों 2023100 सीटोंके प्रवेश के (संस्था को मान्यता देने -साथ बीएड आयोजित करने के लिए याचिकाकर्ता का निर्णय लिया। इस पृष्ठभूमि मेंयाचिकाकर्ताओं ने इसी तरह के , अनुतोष की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

<u>रिट याचिका 2021 / 794 संख्या (सिविल)</u>

20. वर्तमान मामले में भी 2015 कॉलेज ने एनसीटीई द्वारा वर्ष-याचिकाकर्ता , में जारी सार्वजनिक नोटिस के जवाब में शैक्षणिकसत्र 2016-से 2017 बीएड पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्रदान करने के लिए दिनांक 30.6.10 को आवेदन किया। आदेश दिनांक 2015.11.के माध्यम 2016 262वीं कॉलेज के आवेदन को डब्ल्यूआरसी ने अपनी-याचिकाकर्ता ,से ,बैठक में खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने वैधानिक अपील दाखिल की जिसे स्वीकार किया गया और डब्ल्यूआरसी को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया। बहुत सारे पत्राचार और मुकदमे दर्ज होने के बाद337वीं बैठक में याचिकाकर्ता को डब्ल्यूआरसी ने अपनी , 2022 शैक्षणिक सत्र-से बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए 2023 मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया। अतयाचिकाकर्ता ने इसी तरह : के अनुतोष की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

<u>रिट याचिका 2021 / 608 संख्या (सिविल)</u>

21. याचिकाकर्ता ने एनसीटीई द्वारा वर्ष में जारी सार्वजनिक नोटिस के 2015

2016 अनुसरण में शैक्षणिक सत्र-छात्रों के वार्षिक प्रवेश 100 से 2017 के साथ बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्रदान करने 2 के लिए आवेदन किया था। उक्त आवेदन पत्र दिनांक.6.को 2015 ईआरसी ने ,प्रस्तुत किया गया था। छह वर्षों की लंबी अवधि के बाद 20 दिनांक.4.-292वीं बैठक में याचिकाकर्ता को आयोजित अपनी 2021 2022 संस्था को शैक्षणिक सत्र-दो बुनियादी) छात्रों 100 से 2023 के वार्षिक प्रवेश के साथ दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम संचालित (इकाइयों ,करने के लिए मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने इसी तरह के अनुतोष की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

<u>रिट याचिका 2021 / 602 संख्या (सिविल)</u>

22. वर्तमान मामले में भीयाचिकाकर्ता ने एनसीटीई द्वारा जारी सार्वजनिक , बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित करने के ,नोटिस के जवाब में में अपना आवेदन प्रस्तुत 2016 लिए मान्यता प्रदान करने के लिए वर्ष में खारिज कर दिया 2018 कॉलेज का आवेदन वर्ष-किया। याचिकाकर्ता गया। इससे व्यथित होकर (सिविल) याचिकाकर्ता ने रिट याचिका , दाखिल करके माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली 2018 वर्ष 5888 संख्या का दरवाजा खटखटाया था। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने आदेश 28 दिनांक.5.के द्वारा ईआरसी को अनापत्ति प्रमाण की 2018 आवश्यकता के बिना याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। तदनुसार12 ईआरसी ने दिनांक ,.4. को आयोजित अपनी 2021 2022 शैक्षणिक सत्र ,291वीं बैठक में-) से दो इकाइयों 2023100 छात्रों (

के लिए बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए :याचिकाकर्ता को मान्यता प्रदान की। अत, याचिकाकर्ता ने इसी तरह के अनुतोष की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

रिट याचिका 2021 / 601 संख्या (सिविल)

23. वर्तमान मामले में भीमें 2015 याचिकाकर्ता ने एनसीटीई द्वारा वर्ष , 15 दिनांक ,जारी सार्वजनिक नोटिस के जवाब में.6. के आवेदन के 2015 माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2016-छात्रों के वार्षिक प्रवेश के 100 से 2017 साथ बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता मांगी। उक्त आवेदन छह वर्षों की अवधि से लंबित था और अंततः ईआरसी ने 20 दिनांक.4.292वीं बैठक में याचिकाकर्ता को आयोजित अपनी 2021 को शैक्षणिक सत्र 2022-के (दो बुनियादी इकाइयों) छात्रों 100 से 2023 वार्षिक प्रवेश के साथ दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्रदान की। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने इसी तरह के अनुतोष की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

रिट याचिका 2021 / 538 संख्या (सिविल)

24. वर्तमान मामले में भीमें 2015 याचिकाकर्ता ने एनसीटीई द्वारा वर्ष , 15 दिनांक ,जारी सार्वजनिक नोटिस के जवाब में.6.के आवेदन के 2015 2016 माध्यम से शैक्षणिक सत्र-छात्रों के वार्षिक प्रवेश के 100 से 2017 साथ डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता चाही गयी। उक्त आवेदन छह वर्षों की अवधि से लंबित था और अंततः ईआरसी ने

दिनांक 20.4.292वीं बैठक में याचिकाकर्ता को आयोजित अपनी 2021 2022 को शैक्षणिक सत्र-के (दो बुनियादी इकाइयों) छात्रों 100 से 2023 वार्षिक प्रवेश के साथ दोवर्षीय अवधि के डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्रदान की। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने इसी तरह के अनुतोष की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

<u>रिट याचिका 2021 / 711 संख्या (सिविल)</u>

25. वर्तमान मामले में24 दिनांक ,.12. छात्रों 100 को याचिकाकर्ता ने 2012 के प्रवेश के साथ बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए (दो इकाइयों) मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन किया था। हरियाणा सरकार द्वारा :लगाए गए प्रतिबंध पर उक्त आवेदन वापस कर दिया गया था। अत याचिक ाकर्ता ने रिट याचिका दाखिल 2018 / 2383 संख्या (सिविल) करके माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली का दरवाजा खटखटाया। दिनांक 14.3.जिससे प्रतिवादीगण को ,को उक्त याचिका स्वीकार की गई 2018 याचिकाकर्ता के आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया। 295वीं एनआरसी ने अपनी बैठक में याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया29 जिसका जवाब याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक ,.3. 2019 संख्या (सिविल) को प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दाखिल करके पुनः माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली 2019 / 2835 का दरवाजा खटखटाया और माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने आदेश दिनांक 6.11.द्वारा मामले को पुनर्विचार के लिए एनआरसी को 2019 बैठक में (वर्चुअल) 335वीं वापस भेज दिया। एनआरसी ने अपनी 2022 शैक्षणिक सत्र-के (दो बुनियादी इकाइयों) सीटों 100 से 2023

प्रवेश के साथ दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए याचिकाकर्ता ,संस्था को मान्यता देने का निर्णय लिया। इस प्रकार- याचिकाकर्ता ने इसी तरह के अनुतोष की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

<u>रिट याचिका 2021 / 823 संख्या (सिविल)</u>

26. याचिकाकर्ता ने बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए वर्ष में 2015 अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ता को आशय पत्र भी जारी -किया गया। एनआरसी और याचिकाकर्ता के बीच पत्राचार का आदान याचिकाकर्ता ,जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस प्रकार ,प्रदान हुआ ने माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के समक्ष रिट याचिका (सिविल) दाखिल की। उक्त याचिका का निस्तारण आदेश 2021 / 1522 संख्या 5 दिनांक.2.जिसमें प्रतिवादीगण को याचिकाकर्ता ,द्वारा किया गया 2021 सप्ताह के भीतर विचार करने का निर्देश दिया गया। 10 के आवेदन पर ,336वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एनआरसी द्वारा अपनी 28 आदेश दिनांक.6.इसने याचिकाकर्ता को ,के माध्यम से 2021 2022 शैक्षणिक सत्र-छात्रों के वार्षिक प्रवेश के साथ बीएड 50 से 2023 :पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्रदान की। अत, याचिकाकर्ता ने अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई समान अनुतोष की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

27. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अमितेश कुमारश्रीयश , एनसीटीई की विद्वान अधिवक्ता सुश्री ,उदय ललित और श्री मयंक मनीष

राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित ,मनीषा टी करियाविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ मनीष सिंघवी और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता श्री कुणाल चटर्जी को सुना है।

28. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समितियों ने शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए याचिकाकर्ताओंसंस्थानों को मान्यता प्रदान करने के बाद /कॉलेजों-2021 शैक्षणिक वर्ष ,बिना किसी कारण के ,संतुष्ट होने के बाद-के 2022 लिए मान्यता प्रदान नहीं की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने एनसीटीई की सभी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन किया है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि शैक्षणिक वर्ष 2021-के लिए मान्यता क्यों नहीं दी जानी चाहिए। 2022

29. एनसीटीई की विद्वान अधिवक्ता मनीषा टी करिया ने प्रस्तुत किया कि **<u>माँ वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश और अन्य 1(2013) 617 एससीसी 2</u>** के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समयमान्यता केवल शैक्षणिक ,सीमा को ध्यान में रखते हुए-2022 वर्ष-2021 न कि शैक्षणिक वर्ष ,से प्रदान की गई है 2023- 2022 राज्यों के विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रस्तुत -से प्रदान की गई है। प्रतिवादी कियाकि याचिकाएँ खारिज किए जाने योग्य हैं।

30. जैसा कि ऊपर वर्णित तथ्यों से देखा जा सकता हैबीएड पाठ्यक्रम या , डीएलएड पाठ्यक्रम या दोनों के संचालन के लिए मान्यता प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ताओं का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है। कुछ

मामलों में ,वे छह साल की अवधि तक लंबित रहे हैं। कुछ मामलों में , एक दूसरे के विरुद्ध बहुत सरे मुकदमे दर्ज है।

31. हालांकिसभी मामलों में एक बात समान है कि एनसीटीई या इसकी , क्षेत्रीय समितियों ने सभी आवश्यक आवश्यकताओं पर विचार करने के 2022 बाद शैक्षणिक सत्र-डीएलएड पाठ्यक्रम /के लिए बीएड 2023 संचालित करने के लिए मान्यता प्रदान की है।

32. एनसीटीई द्वारा मुख्य मामले अर्थात रिट याचिका 518 संख्या (सिविल) ,अप्रैल 19 में पारित दिनांक 2021 वर्ष2021 के आदेश के पैरा का 2 जो इस प्रकार ह ,संदर्भ देना प्रासंगिक होगाै:

> "2 .**और चूंकि,** संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदनउसके साथ संलग्न , से प्राप्त रिपोर्ट तथा .टी.पत्र और वी-प्रस्तुत शपथ ,दस्तावेज पत्रों की संवीक्षा -तथा संबद्ध निकाय से प्राप्त प्रमाण ,वीडियोग्राफी ,समिति संतुष्ट है कि आवेदक एनसीटीई अधिनियम ,करने पर नियमों तथा प्रासंगिक विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करता हैजिसमें उक्त शिक्षक शिक्षा , कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक जैसे कि कार्यक्रम चलाने के वित्तीय ,अवसंरचनात्मक सुविधाएं , लिए शिक्षण सुविधाएं "आदि शामिल हैं। ,संसाधन

33. अन्य याचिकाओं के अवलोकन से पता चलता है कि मान्यता प्रदान करते समय समान या समान कारण दिए गए हैं। इस प्रकार यह देखा

जा सकता है कि संस्थानों द्वारा प्रस्तुत आवेदनोंउनके साथ संलग्न , प्रस्तुत शपथपत्रों और विजिटिंग टीमों से प्राप्त रिपोर्टों और ,दस्तावेजों वीडियोग्राफी की संवीक्षा के बाद एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समितियों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि समिति इस बात से संतुष्ट थी कि आवेदक संबद्ध निकायों से जारी प्रमाण पत्रों पर विचार करने के बाद एनसीटीई अधिनियमनियमों और , प्रासंगिक विनियमों के प्रावधानों के तहत आवश्यकता को पूरा करते हैं। आदेश में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानकों जैसे कि कार्यक्रम चलाने के लिए शिक्षण सुविधाएं ,अवसंरचनात्मक सुविधाएं , वित्तीय संसाधन आदि के संबंध में अपनी संतुष्टि भी दर्ज की गई है।

34. इस तरह की संतुष्टि पर पहुंचने के बादहमारा विचार है कि एनसीटीई , 2021 या इसकी क्षेत्रीय समिति द्वारा शैक्षणिक वर्ष-से मान्यता 2022 2022 देने से इनकार करना और शैक्षणिक सत्र-के लिए मान्यता 2023 देने पर जोर देना तर्कसंगत नहीं हो सकता है। इसमें कोई विवादनहीं है कि प्रवेश के लिए काउंसलिंग अभी शुरू होनी है। जहां तक **<u>मां वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय</u>**के मामले में इस न्यायालय के निर्णय (सुप्रा) इस न्यायालय ने रिकॉर्ड पर ,सीमा का प्रश्न है-में निर्धारित समयलाये गये बहुत सारे आदेशों में स्वयं उसमें निर्धारित समयसीमा को - संशोधित किया है। हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में भी यही तरीका खासकर तब जब विलम्ब याचिकाकर्ताओं के ,अपनाने की जरूरत है बल्कि इसके विपरीत एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समितियों ,कारण नहीं के कारण हुआ हो।

35. अत:, हम निम्नलिखित शर्तों में याचिकाओं को स्वीकार करते हैं:

)i (**मां वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय**में इस न्यायालय द्वारा (सुप्रा) ;नियत कटऑफ तिथि इन मामलों के तथ्यों में बढ़ा दी गई है

)ii (यह अभिनिर्धारित और घोषित किया गया है कि याचिकाकर्ता शैक्षणिक सत्र 2022-2021 के बजाय शैक्षणिक सत्र 2023- 2022 से एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समितियों द्वारा पारित संबंधित आदेशों द्वारा दी गई मान्यता के हकदार होंगे।

)iii(प्रतिवादीएनसीटीई और इसकी क्षेत्रीय समितियों को आज से तीन - दिनों की अवधि के भीतर इस संबंध में औपचारिक अधिसूचनाएं जारी करने का निर्द/आदेशेश दिया जाता है।

)iv(राज्य और अन्य प्राधिकरण आज से दिनों की अवधि के 15 या अन्य अपेक्षित अनुमति देने पर विचार /भीतर संबद्धता और ;करेंगे

)v (याचिकाकर्ता शैक्षणिक सत्र 2022-के लिए एनसीटीई द्वारा 2023 2021 दी गई स्वीकृति के अनुसार शैक्षणिक सत्र- के 2022लिए छात्रों को प्रवेश देने के हकदार होंगे।

)vi(याचिकाकर्तासंस्थाओं का नाम प्रवेश के लिए काउंसलिंग /कॉलेज- कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

36. उपरोक्त शर्तों के अनुसार रिट याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है और उनका निस्तारण किया जाता है। परिणामस्वरूपसभी , लंबित आवेदनों का निस्तारण कर दिया जाएगा।

.... न्यायमूर्ति

)आरएफ नरीमन (

.... न्यायमूर्ति

)बीआर गवई(

नई दिल्ली ,

दिनांक 2021 अगस्त 11.

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|